कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन(म0प्र0)

//परिपत्र//

क्रमांक–743/दो–12–01/2004 उज्जैन,दिनांक 18 अगस्त, 2023

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन कमांक–डी/3265 दिनांक 03.08.2023 के पालन में इस स्थापना पर पदस्थ तृतीय श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा अंतरमण्डलीय स्थानांतरण अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने पर स्वयं के या परिवार के सदस्य के चिकित्सा संबंधी प्रपत्र संलग्न किये जा रहे है, जो कि रजिस्ट्री स्तर पर परीक्षण किया जाना संभव नहीं होता है।

अतः उपरोक्त रजिस्ट्री के ज्ञापन के अनुकम में यह सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण संबंधी अभ्यावेदन के साथ संलग्न चिकित्सा संबंधी प्रपत्रों के अतिरिक्त इस आशय का सक्षम चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र भी संलग्न करे कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी किस रोग या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पीड़ित है तथा स्थानीय स्तर पर उनका उपचार संभव है या नहीं ?

उपरोक्त परिपत्र का कढ़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

sd/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन(म.प्र.)

पृष्ठा. क्रमांक–8016/दो–12–01/2004 उज्जैन,दिनांक.........अगस्त, 2023

प्रतिलिपि – 12 21 AUG 2023

1. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, उज्जैन, खाचरौद, नागदा, बड़नगर, महिदपुर एवं तराना की ओर समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को अवगत कराए जाने हेतु प्रेषित्।
2. कोर्ट मैंनेजर/प्रशासनिक अधिकारी/समस्त उप प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
3. जिला नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग, उज्जैन, खाचरौद, नागदा, बड़नगर, महिदपुर एवं तराना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।
4. श्रीमती कृतिका अष्ठाना, जे.एस.ए. जिला न्यायालय उज्जैन की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त परिपत्र की प्रति कर्मचारियों के व्हाट्सअप पर प्रेषित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
, उज्जैन(म.प्र.)

E-mail Sent on 21/08/23 3.13PM